2026/61

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के नियम 138 के अन्तर्गत)

~~प्रकरण मांगों के संख्या-2020~~

राजस्व रेकार्ड में शुद्धि कराने का प्रपत्र

राजस्व ग्राम मोरथला पo मo मोरथला भू०अ०नि०वृत्त आबूरोड तहसील– सिरोही (आबूरोड)

क्र. स.	खाता सं०	खसरा नंबर	रकबा Hectare	वर्तमान खाते का विवरण	प्रस्तावित प्रविष्टि	वि०वि०
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1	08	90/1	0.1138	काश्तकार की जाति 1. ओटाराम पुत्र केसा हिस्सा - पूर्ण जाति - मेहवाल सा.देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) मारवाड़ ग्रामीण लैंड शाखा आबूरोड	1. ओटाराम पुत्र केसा हिस्सा-पूर्ण, जाति - मेहवाल सा.देह खातेदार राहिन (पूर्ण खाता) राजस्थान ग्रामीण लैंड	राजस्थान ग्रामीण लैंड शाखा सिरोही पत्रांक 938 दि.14/12/26 अनुसार लैंड की जाति राजस्थान ग्रामीण लैंड होने से शुद्धि किया जाना उचित है.
मुताबिक मिसल / जमाबन्दी संवत 2012 के 1 ग्रामी (वर्तमान) के उपरोक्तानुसार हिस्सा शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है। प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956 के तहत श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ~~अजमेर~~ आबूरोड के समक्ष श्रवण योग्य है। 26/2/26 पटवारी (भू.अ.) मोरथला तहसील आबूरोड (सिरोही) पटवारी मोरथला दिनांक 26/2/26				साबिक राजस्व रिकॉर्ड से मिलान किया गया। रिपोर्ट पटवारी पूर्ण है। अतः उपरोक्तानुसार खाते में शुद्धि किया जाना उचित है। दिनांक 26/2/26 ह० भू०अ०नि० आबूरोड	प०हल्का मोरथला भू०अ०नि० आबूरोड की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के मिलान के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। प्रकरण बन्दोबस्त संक्रियाओ के दौरान/पूर्व का होने से श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय ~~अजमेर~~ आबूरोड को सादर प्रेषित है। 27/02/26 ह० राजस्व अधिकारी	प०हल्का भू०अ०नि० राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर उपरोक्तानुसार शुद्धीकरण किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। हाल जमाबंदी में अमल किया जाये। सहायक कलेक्टर आबूरोड (सिरोही) ह० उपखण्ड अधिकारी